

फर्द अहकाम
(निगम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, शिव

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
नगराम पुत्र लूणाराम जाति माली, निवासी शिव तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (04)		तहसीलदार शिव तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा(98)

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन(धारा 131, 136)

मुकदमा नम्बर 135/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.05.2023	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलाण्ट के अधिवक्ता श्री ईश्वरसिंह भाटी ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 131, 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अंतर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेन्ट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब आईन्दा दिनांक 05.07.23 को पेश हो।</p>	
05.07.23	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता मोहनसिंह सिंघाना द्वारा विप्रार्थी संख्या 2/1, 5/1, 6/1, 7, 8, 10, 11, 15/1, 15/2, 16/1, 17, 20 से 23, 25, 33, 36, 48, 51, 51/1, 52/2, 59/1, 59/3, 59/5 से 59/8, 62/2, 64, व 77 की ओर से वकालतगण पेश किए। जिससे अफिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते विप्रार्थी संख्या 2/1, 5/1, 6/1, 7, 8, 10, 11, 15/1, 15/2, 16/1, 17, 20 से 23, 25, 33, 36, 48, 51, 52/1, 52/2, 59/1, 59/3, 59/5 से 59/8, 62/2, 64 व 77 के जवाब तथा शेष विप्रार्थी संख्या इन्तजाल होकर दिनांक 11.08.23 को पेश हो।</p>	<p>उपखण्ड अधिकारी शिव, बाड़मेर</p>
11.08.23	<p>पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इलतवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 31.08.23 को पेश हो।</p>	<p>उपखण्ड अधिकारी शिव, बाड़मेर</p>

अनुपस्थित
जाए
हुए

हुम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुम की तामील
में जारी हुए

2.26

पत्रावली पेश / वाकुलाय अनुपस्थित।
पत्रावली वाले धारा 151 CPC के
अनुपस्थित पत्र के जवाब हेतु दिनांक
27.03.26 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
शिव, बाड़मेर

27.3.26

पत्रावली पेश हुई।
प्रार्थी/ विप्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित।
पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के
कारण इल्लवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार
दिनांक 25.26 को पेश हो।

7.5.26

पत्रावली पेश / वाकुलाय अनुपस्थित।
पत्रावली में पैरवी हेतु उभयपक्ष को आचार्य
समक्ष में बार बार आवेजें की जाने पर
अनुपस्थित। अतः पत्रावली में उभावी पैरवी
नहीं होने तथा अनुपस्थित रहने पर उक्त
पत्रावली इसी स्टेज पर अटम हाजरी व
अटम पैरवी में खारिज की जाती है।
पत्रावली फैसल होकर नम्बर से कम होकर
दस्तावेज प्रकृत हो।

उपखण्ड अधिकारी
शिव, बाड़मेर